पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उदयम)



(A Government of India Enterprise)





"आय.एस.ओ. 9001 : 2000 प्रमाणित कंपनी" - "I.S.O. 9001 : 2000 Certified Company"

प्लाट सं.54,रिया रेवती रिसोर्ट के पास,अम्बे विद्यालय के सामने समां सावली रोड, वडोदरा-390008(गुजरात) Plot No.54, Adjacent to Riya-Revati Resort, Opp Ambe Vidhyalaya, Sama Savli Road Vadodara – 390008(Gujarat) <u>averma@powergridindia.com</u> दूरभाष:/Phone: (O) 0265-2712631

पश्चिम क्षेत्र पारेषण प्रणाली-॥, क्षेत्रीय मुख्यालय

Western Region Transmission System - II, Regional Headquarters

दिनांक <u>: 3</u>0.07.2018

प..क्षे-.II/जन सूचना/ 2०% सेवा में,

Shri. Dattatray Khanderao Khaire At Post Dist Nashik, Guru Gobind Singh Colony, Balinagar, Dhatrak Phat, Shri Krishana Bangala Panchayati Nashik

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी |

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक: 23.05.2018 ,इस कार्यालय में दिनांक 20.07.2018 को के.लो.सू.से .मार्फ़त प्राप्त हुआ | आवेदन पत्र में पर मांगी गयी जानकारी इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है | अपीलिय अधिकारी का नाम और पता निम्मानुसार है-:

श्री डी.के.सिंह ,अपीलीय अधिकारी, पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, प्लाट न.54, समा सावली रोड, वडोदरा — 390 008 (गुजरात(.

धन्यवाद

ोि निव्यक्ति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी विश्व भीत्र — II, वडोदरा

संलग्न : यथोपारि|/

प्रतिलिपि: -

- 1. कार्यपालक निदेशक, प.क्षे-.II, वड़ोदरा सादर सूचनार्थ
- 2. प्रबंधक ,(सतर्कता)प-.क्षे.।। वडोदरा ,

Reply to RTI of SH. Dattatray Khanderao Khaire, of Nasik

Sr. no	Subject	Description	Reply
1	Applicant Name	Dattatray Khanderao Khaire	
2	Address	At Post: Dist Nasik, Guru Gobind singh Colony, BaliNagar, Dhatrak Phat, Shri Krishana Bangala, Panchavati Nasik	c
3.	Details about required Information	List of all the affected Farmers along with details of Payment made in 400kV Aurangabad Boisar Tr. Line of POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	1. As per Gazette Notification no. dated 24 th Dec 2003, POWERGRID is empowered as Telegraph Authority(copy enclosed) 2. As per Indian Telegraph Act - 1885, part-III, Sec-10 (b) Telegraph authority (POWERGRID) shall not acquire any right other than
			that of user only in the property under, over, along, across, in or upon which telegraph authority places any telegraph line and Posts. 3. Since the No land acquisition involved as per above mentioned act; Neither displacement nor resettlement of people done, for the telegraph line project as in case of 400kV-Aurangabad Boisar Tr. line
A	Briefs of required Information	As Above	
B C	Period of Information Required information other details	2015-16, 2016-17	
D	Information getting method Post or Personally	Personally	•
е	If required through Post(Ordinary/Register ed/Speed)		
.4	Whether applicant is below Poverty line, if Yes enclosed copy	No	
	oo: Nacik		$\Lambda \theta$

Place: Nasik Date: 04.05.2018

(Sandeepi G Bhitre)

and maintain a telegraph line under, over, along, or across, and posts in or upon any immovable property:

Provided that-

(a) the telegraph authority shall not exercise the powers conferred by this section except for the purposes of a telegraph established or maintained by the [Central Government], or to be so established or maintained;

(b) the [Central Government] shall not acquire any right other than that of user only in the property under, over, along, across in or upon which the telegraph authority places any telegraph line or

post; and

(c) except as hereinafter provided, the telegraph authority shall not exercise those powers in respect of any property vested in or under the control or management of any local authority, without the posterior of that authority; and

the permission of that authority: and

(d) in the exercise of the powers conferred by this section, the telegraph authority shall do as little damage as possible, and, when it has exercised those powers in respect of any property other than that referred to in clause (c), shall pay full compensation to all persons interested for any damage sustained by them by reason of the exercise of those powers.

11. Power to enter on property in order to repair or remove telegraph lines or posts.—The telegraph authority may, at any time, for the purpose of examining, repairing, altering or removing any telegraph line or post, enter on the property under, over, along, across, in or upon which the line or post has been placed.

PROVISIONS APPLICABLE TO PROPERTY VESTED IN OR UNDER THE CONTROL OR MANAGEMENT OF LOCAL AUTHORITIES

12. Power for local authority to give permission under section 10. clause (c), subject to conditions.—Any permission given by a local authority under section 10. clause (c), may be given subject to such reasonable conditions as that authority thinks fit to impose, as to the payment of any expenses to which the authority will necessarily be put in consequence of the exercise of the powers conferred by that section, or as to the time or mode of execution of any work, or as to any other thing connected with or relative to any work undertaken by the telegraph authority under those powers.

13. Power for local authority to require removal or alteration of telegraph line or post.—When, under the foregoing provisions of this Act, a telegraph line or post has been placed by the telegraph authority under, over, along, across, in or upon any property vested in or under the control or management of a local authority, and the local authority,



रिजस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

HRA Saxette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1148] No. 1148] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2003/पौष 3, 1925

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2003/PAUSA 3, 1925

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2003

का.आ. 1463(अ).—जहाँ पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिनका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली (अब से ''पावरग्रिड'' नाम से संदर्भित) है, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक सरकारी कंपनी है और विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अंतरराज्यीय पारेषण कार्य के लिए लाइसेंसी है।

और, जहाँ पावरग्रिड द्वारा अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली के जरिए पारेषण प्रणाली स्थापित करना तथा विद्युत पारेषण का कार्य करना अपेक्षित है।

और, जहाँ विद्युत परिषण या कार्यों के समुचित समन्वयन के लिए आवश्यक दूरभाषीय या तार संबंधी सम्प्रेषण के उद्देश्य से किसी अचल संपत्ति में या पर पोस्ट के नीचे, ऊपर, पास में या इसके पार विद्युत तार या विद्युत संयंत्र स्थापित करने और इनका अनुरक्षण करने के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 8) के भाग-3 के अंतर्गत तार लाइनों को बिछाने या स्थापित अथवा अनुरक्षित पोस्ट या इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित तार लाइनों एवं पोस्टों के संबंध में पावरिग्रड को शिक्तयाँ प्रदान करने एवं पावरिग्रड द्वारा इनका प्रयोग किया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पावरिग्रड को एतद्द्वारा विद्युत पारेषण के लिए तथा कार्यों के समृचित समन्वयन के लिए आवश्यक दूरभाषीय या तार संबंधी सम्प्रेषण के उद्देश्य से बिछाई गयी या अनुरक्षित अथवा बिछाई जाने या अनुरक्षित की जाने वाली विद्युत लाइनों एवं विद्युत संयंत्र के संबंध में भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग-3 के अंतर्गत तार प्राधिकरण को प्रदत्त एवं इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

पावरग्रिड को उपर्युक्त शक्ति का प्रत्यायोजन इसके द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन करने की शर्त पर दिया गया है।

> [सं. 23/73/2003-आर एंड आर] अजय शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 24th December, 2003

S.O. 1463(E).—Whereas Power Grid Corporation of India Limited, having its registered office at B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi (hereinafter referred to as 'the POWERGRID') is a Government Company registered under the Companies Act, 1956 and a licensee engaged in the business of inter-State transmission of electricity, under the Electricity Act, 2003;

And, whereas Powergrid is required to establish transmission system and to undertake transmission of electricity through inter-State transmission system;

And, whereas for placing and maintaining of electric lines or electrical plant under, over, along or across, posts in or upon any immovable property for the transmission of electricity or for the purpose of telephonic or telegraphic communications necessary for proper coordination of works, the vesting and exercise of the powers of the Telegraph Authority under Part-III of the Indian Telegraph Act, 1885 (8 of 1885) with respect to the placing of the telegraph lines and posts established or maintained or to be so established or maintained are required to be conferred on the Powergrid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 164 of the Electricity Act, 2003 the Powergrid is hereby authorized to exercise all the powers vested in the Telegraph Authority under Part III of the Indian Telegraph Act, 1885, in respect of the electrical lines and electrical plant established or maintained, or to be so established or maintained for the transmission of electricity or for the purpose of telephonic or telegraphic communication necessary for the proper coordination of the works.

The above authorization is subject to compliance by the Powergrid to the requirements of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made thereunder.

[No. 23/73/2003-R&R]

AJAY SHANKAR, Jt. Secy.

पावरग्रिड, पश्चिम क्षेत्र-॥, वड़ोदरा



(कार्यपालक निदेशक कार्यालय) अंतर कार्यालय ज्ञापन

: केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (प.क्षे.-॥) , वड़ोदरा

सेवा में : उप महा प्रबंधक बोइसर /इंदौर

प्रबंधक नाशिक

The state of the s सन्दर्भ सं. : प.क्षे.-॥/का.नि./आर.टी.आई./ 2५५

देनांक : <u>20</u>.07.2017

विषय : आर. टी.आई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी |

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री दत्तात्रेय खांडेराव , पंचवटी से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 23.05.2017 संलग्न है| and the second of the

आपसे अन्रोध है कि आवेदन करता द्वारा मांगी गयी जानकारी (बिन्दुवार)/दस्तावेज, दिनांक 30.07.2018 से पूर्व प्रेषित करने का कष्ट करें सादर |

्रप्रतिलिपि ः 🖒 🚈 🧺 🚈

grandation of the artistic graphy of the application of the fitting the planets of the

and the control of th

- the state of the s कार्यपालक निदेशक, प.क्षे.-॥, वड़ोदरा - सादर सूचनार्थ
- 2. महा प्रबंधक ॥ वड़ोदरा
- 3. प्रबंधक(सतकेता), पं.क्षे. ॥ वड़ोदरा

राणोरिकावीय अधिकारी कार्यालय निकास अपिक्षाम निकास difficulties (nation-arrays) - Counties arracearrage countie 10- promortice cultimatics in करमहिली अधिकार/एसआर/ के १५०३८ from from 5 /0/303/ His. () जहां मोहिती अधिकारी महास्था प्रकास पांबरपोर कांगीरेशन ऑफ ही हवा कि कार्यालय सामिक विभाग सार्वजनायिक २) अनुपर्धास्त्री अधिकारं. रणियभणीय क्रवी अधिकारी, निपाद कार्यालय *ទៅរ៉ូចែ*មកទៅខ្លាំងស្រីប្រែក विषय :- माहितो अधिकार आधितयम २००५ अन्तर्ग अर्ग. संदर्भ :- जनमाहिती अधिकारी तथाः वर्षाचटणीस (भूट शाखा)जिल्लाधिकारी कार्यालय नाशिक याचेकडील् क्रक्षा-१/पिओएल-१/माओध /एसआर/२१/२०१८ दि:१७/५/२०१८ संदर्भियः अर्जास्य। अप्रदेतानि आपणासः कळांगायातं येते को, सन्तिषयः पत्रान्यये अर्जदारः श्री कतानय कोरताक करे आगुतामीवित्तरिमा क्रांसकी बळीनगरस्थात्रक फारताओं कृष्णा बगागारपंथवर्दी नाशिक व तार्रकाताशिक पाँचा iत*्रापान्य*्यक्ष्यकारमञ्जूषात्राच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्या अजेदार यांनी संदर्भिय महिली अधिकार अजीदार पाणा केलेला महिली हि आपरे कार्यालवाओ राबीधां आहे. त्यामुळे सद्द्या अनं पारीती अधिकार अधितयम् २००५ च कलम् ५(३)(२) अन्यये आपलेकडेत स्तावपूर्व क्रम्प्यात घेते आहे सामत संवर्धीय माहोती अधिकार अणायी कार्योपन प्रत नोडली आहे. तरी अज़रार पानी महार्था केलेली बाहोती त्यांमा आपते. स्टाराहारून मुस्तीत पुर्यवर्ण ज्ञायत नियमानसार कार्यवाही करावी. लसेच आव्याल या anguiscours samulantistafi रहाभरोत/-भाजन संतिती अधिकारी तथा जाततांसकताः उपविभाषीय शियकार्ग विकास भाग निस्तत याचे कार्यालय ति असी असाहरा अस्ति के केरे राज्याती विदेशिया कोलानी (ब्राह्मीनमस्स्यावक काटा श्रीकृष्ण वंगला पंचवरी नाशिक क् anio Gallaga . आपना विक्रमें विक्रमें कार्ये, संगीचा वार्ये, उपरावत कामालय यशिकारेस तस्तातरात फेला आहे. तसे यापावार नम्पर्कत्वात्त्रीत् । इत्यावात्त्रात्त्रात् । एक् स्त्रम् स्थात्त्रात्त्री इत्यावव्यवस्थात्रीत् DEGRAPHATA राजवंद्रसादिती शिष्टिवर्देश है। देवाद कार्या sificultive that it icuaerovicuaerovicuaero

अपिक्षानीय अधिकारी कार्यानय निफाड उपिक्षान निफाड (April 4: 11 (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) कामाहिती अधिकार/एसआर/ केल /२०१८ Hane fail 5 /4/7eX/ uin . अन्य साहितीः अधिकारीः -HORICAL HERED भावसोड कार्यसम् आफ डीड्या जि. कार्यालय भाजिक दिया। सर्वित्वामिक ं) प्रसमिति अधिमारी उपदिसातीय ऋषी अधिकारी, निपाड कार्यालय दा दिएहर जिल्लासक विषय :- माहिती अधिकार ऑग्रेसियम २००५ अन्दर्ध अर्थे. संदर्भ :- अनुसाहिती अधिकारी नृष्याः उपचित्रपीस (गृहः शाका)णित्साधिकारी कार्यालय नाशिक माचामदील क्राक्स-१/प्रिकीएल-१/माःअधिः/एसआत/२१/२०१८ दि:१७/५/२०१८ संविधियः अलोध्याः अध्यति। ने आयणास् व्यक्तविष्यात येते की, संविधयः प्रजन्यये अनंदार श्री दत्तानय बुदेशक विरोध के काला (देकदिया के लेक कि कानगर पात्रक फास्ता अक्तिया वागुला प्रेयवर्की नामिक-के तालिक नामिक प्रोधा कि अध्यक्तिक के विकास महिला अधिकार अधिकार अधिकार के विकास के स्थान अर्थाता संत्रीमा आहिती अधिकार अर्थात्वरे पाणणे केलेली महिती हि आएले कार्यालवासी संबद्धात मार्के स्याप्टे संबद्धा केले मामिती अधिकार विधिनयम २००५ चे कलम ६(३)(२) अन्वयं आपलेकदेस इस्तानम्बद्धाराज्यात् सेतः साहित संदर्भीय महोती सीपकार अणोत्री कार्योकत प्रत जोडली आहे' तरी अजधार योगी यामणे केलेलीव्यात्ताती त्यांमा आपती त्याप्रस्त अन्ताता मुख्योत मुख्योत त्याप्तत्यात्यात कार्यवात करायी. तसेच अत्यात आ ncusaures exucere acceptation en ci ्रामध्याक પ્રકાલભાદિનો શિણકાલીક છે હાલ્સ દિલ્હાન <u> សម្រែកទៅពេសម៉េតាក់</u>នៃ विष्तास्य भागा विष्ताह यारी कार्यालया The Particular Control of Control कि सम्बद्धित स्थापित है। इस विकास कार्य कार्याच्या स्थापित स्थापित होते हैं। इस स्थापित स्थापित होते स्थापित है annoch i des met mateine en erkonoch in de promes nech zueil 7.0107617.85 ម្តីតាធុម្មរាជិត្តដើម្បីខែត្រប់នៃប្រើក្រុងក្រុងក្រុង atice micosiventik icear annaisea, suchamou